ग्राम पंचायत मुच्छाली विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्याः PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मुच्छाली के विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री चन्द्र कुमार	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति अनिता कुमारी	23.1.2016 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अश्वनी कुमार	1.4.2013 के अघतन

(ख) गम्भीर आपत्तियों का सार :–

ग्राम पंचायत मुच्छाली के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	अनुदानों को उपयोग न करना	0.63
2.	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	1.59
3.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.25
4.	9	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना	4.25
5.	10	खाता **'ख"** से अर्जित ब्याज को खाता **'क"** में अन्तरित न करना	0.56

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 28.6.2016 से 1.7.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 2/14, 3/15, 10/15 व 12/13, 4/14, 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामें को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 181, दिनांक 29.6.2016 द्वारा संचिव, ग्राम पंचायत मुच्छाली से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत मुच्छाली के पत्र संख्याः 1, दिनांक 30.6.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत मुच्छाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत मुच्छाली के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्षे	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	786813.60	316302.60	1103116.20	472270.60	630845.60
2014–15	630845.60	268150.45	898996.05	336167.60	562828.45

2015–16	562828.45	446072.60	1008901.05	732346.40	276554.65

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत मुच्छाली के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1"** में भी दिया गया है।

वर्षे	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	375891.49	5210441.00	5586332.49	4128605.70	1457726.79
2014–15	1457726.79	2813237.11	4270963.90	3528280	742683.90
2015–16	742683.90	2589979.00	3332662.90	2697741.08	634921.82

4. (1) बैंक समाधान विवरणी :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मुच्छाली द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खाते में ₹3959.45 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i)	रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष	=	276554.65
(i)	रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) आ अन्तशेष	=	634921.82
		योग	**₹911476.47**

अन्त शेष का विवरण :–

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	निधि	राशि	हस्तगत राशि	योग
1.	20034021206	के0सी0सी0वी बंगाणा	सभा निधि	703408.40	409.85	703818.25
2.	20034056228	–यथोपरि–	विकास निधि	202660	320.75	202980.75
3.	6809000100017165	पी0एन0बी0 बंगाणा	आई0डब्ल्यू0 एम0पी0–III	718.02	–	718.02
			कुल योग	**₹906786.42**	**₹730.60**	**₹907517.02**

अन्तर (911476.47–907517.02)=₹3959.45

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना :–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,

संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. बजट प्राकंलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राकंलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकंलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकंलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकंलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकंलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. अनुदान ₹6.35 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 मे अनुदान ₹634921.82 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. पंचायत राजस्व ₹1.59 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत सचिव मुच्छाली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व ₹159172 की राशि निम्नानुसार वसूली हेतु शेष थी।

1. (क) गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	17392	9585	26977	शून्य	26977
2014–15	26977	9585	36562	1095	26467

2015–16	26467	9600	36067	शून्य	36067

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. दुकानों से किराया :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	40150	89700	129850	94675	35175
2014–15	35175	109800	144975	68650	76325
2015–16	76325	186900	263225	140120	123105

अतः गृहकर व दुकानों के किराये की क्रमशः ₹36067 व ₹123105 कुल ₹159172 के राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

3. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों से स्थापना शुल्क व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे :–

सचिव ग्राम पंचायत मुच्छाली द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत की परिधि में तीन कम्पनियों के टावर स्थापित थे, जिसमें से केवल एक कम्पनी एयरटैल द्वारा केवल वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान ही वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जमा किया गया व शेष अन्य दो कम्पनियों द्वारा न तो स्थापना प्रभार अदा किए हैं व न ही वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ग्राम पंचायत को जमा करवाया। अतः नियमानुसार सम्बन्धित मोबाइल टावर कम्पनियों से संस्थापना शुल्क व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित दरों पर प्रत्येक वर्ष एकत्रित किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.25 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा निर्माण सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹424785 की

सामग्री का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर व निर्माण सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय गए ₹4.25 लाख के सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–'2"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹424785 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. खाता (ख) में अर्जित ब्याज ₹0.56 लाख को खाता (क) में हस्तांतरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेख संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रति वर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व अनुदानों पर अर्जित ब्याज ₹55746 को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में हस्तांतरित नहीं किया गया। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निम्नानुसार खाता (ख) से अर्जित ब्याज को खाता (क) स्वयं संसाधनों में हस्तांतरित आन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	माह	योजना	आई0डब्ल्यू0एम0पी–III	मनरेगा	योग
1.	8/2013	4623	–	1055	5678
2.	9/2013	–	741	–	741
3.	2/2014	6360	–	2598	8958
4.	3/2014	–	2267	–	2267
5.	8/2014	12300	–	–	12300
6.	9/2014	–	2656	–	2656
7.	10/2014	–	–	538	538

8.	1/2015	–	–	184	184
9.	3/2015	7268	2210	–	9478
10.	8/2015	7612	–	–	7612
11.	9/2015	–	371	–	371
12.	2/2016	4836	–	–	4836
13.	3/2016	–	127	–	127
	योग	**42999**	**8372**	**4375**	**55746**

11. मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राकंलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

ग्राम पंचायत मुच्छाली में संलग्न **परिशिष्ट–'3"** के अनुसार मनरेगाा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान ₹1062482 के मस्ट्रोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिनन विकास कार्यों को करवाने हेतु किया गया, लेकिन करवाए गए विकास कार्यों के अनुमान/प्राकंलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जेाकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत मुच्छाली द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है,

जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत मुच्छाली के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैसे रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट, ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकंलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी। क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

16. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

18. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20. **निष्कर्ष :–**

लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड़ वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के अध्याय–2 नियम–4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(5)3/2016– 4217–4221 दिनांकः 28.07.2016
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09

2 जिला पंचायत अधिकारी, जिला ऊना हि0 प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड, तहसील बंगाणा जिला ऊना हि0 प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड ऊना, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

5 श्री राजकुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.